

सं० सं०-एस०आई०पी०बी० 201700461.....
सेवा में,

दिनांक- फरवरी, 2018

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
बिहार, पटना।

विषय- मे० माँ जानकी तूफान एग्री इण्डस्ट्रीज, प्रा० लि० द्वारा भवानीपुर, मंसुरचक, बेगुसराय में 10000 मे० टन क्षमता का कोल्ड स्टोरेज की स्थापना हेतु टर्म लोन पर ब्याज अनुदान के रूप में रू० 27,33,355/- (मात्र तेईस लाख तैंतीस हजार तीन सौ पचपन रूपए) की स्वीकृति एवं तत्काल रू० 17,65,000/- (मात्र सतरह लाख पैसठ हजार रूपए) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:
महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या-एस०आई०पी०बी०201700461/488, दिनांक-5.02.2018 द्वारा मे० माँ जानकी तूफान एग्री इण्डस्ट्रीज, प्रा० लि०, बेगुसराय द्वारा 10000 मे० टन क्षमता का कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के निमित्त लिए गए टर्म लोन पर ब्याज अनुदान के रूप में औद्योगिक नीति-2016 के आलोक में दिनांक-01.04.2017 से 30.09.2017 तक की अवधि के लिए रू० 27,33,355/- (मात्र सताईस लाख तैंतीस हजार तीन सौ पचपन रूपए) के अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान में पर्याप्त बजट आवंटन नहीं रहने के कारण तत्काल रू० 17,65,000/- (मात्र सतरह लाख पैसठ हजार रूपए) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है। स्वीकृत अनुदान की शेष राशि का भुगतान निधि उपलब्ध होने पर किया जाएगा।

2. उक्त राशि का व्यय वहन "राज्यादेश सं०-1513, दिनांक-25.05.17 एवं आवंटनादेश सं०-15/आ०, दिनांक-29.05.17 के आलोक में मांग संख्या- 23 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष- 2852- उद्योग, उप मुख्य शीर्ष- 80- सामान्य, लघु शीर्ष-102-औद्योगिक उत्पादकता, उप शीर्ष- 0160- प्री-प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड- 23.2852801020160 के अंतर्गत विषय शीर्ष- 0160.33 01 सब्सिडी में आवंटित राशि से की जाएगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।

5. इस राशि की निकासी पूर्व प्राप्ति रसीद पर बी० टी० सी० फार्म-25 पर की जाएगी।

6. इस राशि का भुगतान मे० माँ जानकी तूफान एग्री इण्डस्ट्रीज, प्रा० लि०, बेगुसराय को उनके बैंक ऑफ इंडिया, दलसिंहसराय, समस्तीपुर में खाता संख्या-468325110000002, IFSC Code-BKID0004683 में RTGS/Bank Draft के माध्यम से की जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(पंकज कुमार सिंह)

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,

बिहार, पटना।

दिनांक- फरवरी, 2018

ज्ञापांक-एस०आई०पी०बी० 201700461.....

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक—एस0आई0पी0बी0 201700461.....

दिनांक— फरवरी, 2018

प्रतिलिपि: वित्त विभाग, बिहार, पटना/ योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस0आई0पी0बी0,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक—एस0आई0पी0बी0 201700461.573...

दिनांक— 9 फरवरी, 2018

प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बेगुसराय/ उप उद्योग निदेशक (श्री उपाध्याय) को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ लेखा शाखा, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ योजना शाखा, प्रशाखा-1 (सरकार)/ आई0 टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ मे0 माँ जानकी तूफान एग्री इण्डस्ट्रीज, प्रा0 लि0, बेगुसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस0आई0पी0बी0,
बिहार, पटना।